न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 108 / 2022
निर्णय दिनाक : 28.03.2025
GCMS NO : 2022/181

रामचन्द पुत्र किस्तुराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम लोढसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
..............वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र किस्तुराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम लोढसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1.वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।
2.प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ में स्थित खेत खसरा नं. 604 / 503 रकबा 0.2023 हैक्टेयर वादी के नाम से एकल खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

यह कि वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 604 / 503 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से दक्षिण और की रास्ते के तरफ की 0.0663 हैक्टेयर यानि 663 वर्गमीटर भूमि को कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ़ से संपरिवर्तन आदेश क्रमांक–LC / 2021–22 / 112531 दिनांक 20.12.2021 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया था।

यह कि वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 604 / 503 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से दक्षिण और की रास्ते के तरफ की 0.0663 हैक्टेयर यानि 663 वर्गमीटर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लेने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 949 दिनांकित 12.01.2022 स्वीकृत करके वादी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाई गई भूमि के नये खसरा नं. 873 / 604 रकबा 0.0663 हैक्टेयर गै.मु. आवासीय व शेष बची उतरी तरफ की खातेदारी भूमि के नये खसरा नं. 874 / 604 रकबा 0.1360 हैक्टेयर बारानी अव्वल राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसे वादगत भूमि कहा गया है।

यह कि वादी ने केसीसी लोन लेने के लिए बैंक में आवेदन किया तब बैंक कर्मचारियों ने भूमि के दस्तावेज व रेकॉर्ड की नकल देखने के बाद वादी को कहा कि आपकी भूमि के उतर तरफ खसरा नं. 603 / 503 होना चाहिये था लेकिन राजस्व रेकॉर्ड एक्स नक्शा में उतर तरफ में खसरा नं. 26 गलत रूप से दर्ज है, इसलिये आप अपनी जमीन एक्स नक्शा रेकॉर्ड को सही व दुरस्त करवाकर लाओ तभी बैंक आपको लोन दे सकेगा। वादी की खातेदारी भूमि के दक्षिण तरफ वादी की आवासीय भूमि खसरा नं. 873 / 604 है। राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश खसरा नं. 603 / 503 जो हीरालाल पुत्र किस्तुराराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी लोढ़सर के नाम से है एवं जो वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 874 / 604 के उतरी तरफ चिपता हुआ दर्ज होना था को राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से वादी की खातेदारी भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

के चिपती हुई वादी स्वंय की आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि खसरा नं. 873/604 के दक्षिण तरफ गलत रूप से दर्ज कर दिया। जिसे दुरस्त करवाना वादी के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

यह कि वादी द्वारा तहसीलदार सुजानगढ़ को उसकी खातेदारी भूमि के एक्स नक्शा की गलत तरमीम राजस्व रेकॉर्ड को दुरस्त करके उसकी खातेदारी भूमि के एक्स नक्शा में उत्तरी तरफ मे 603/503 दर्ज करने का निवेदन किया जिसे तहसीलदार सुजानगढ़ ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि आप न्यायालय से दावा करके अपने रेकॉर्ड को दुरस्त करवाकर तरमीम करवाओं। जिससे वादी को वादी हैतुक प्राप्त है।

यह कि वादी वादगत भूमि का खातेदार स्वामी है एवं सम्पूर्ण खातेदारी भूमि उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है जिससे वादी को वादाधार प्राप्त है।

यह कि वादगत कृषि भूमि रोही मौजा लोढसर तहसील सुजानगढ़ में स्थित है जिसके बार में तमाम प्रकार के विवादों को सुनने का श्रवाणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अतः दावा वादी द्वारा एक्स में दुरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा ईकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 राज पैराकार तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ के ख.नं. 503/485 तादादी 01 बीघा किस्म बा.अ. खातेदार हीरालाल पुत्र किस्तुराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम लोढ़सर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज था। जिसमें नामान्तरकरण संख्या 557 किस्म रूपान्तरकरण द्वारा ख.नं. 503/485 के नये खसरे 603/503 तादादी 4 बिस्वा किस्म गै.मू. औधोगिक व ख.नं. 604/503 तादादी 16 विश्वा किस्म बा.अ. बने। जिसकी तरमीम तत्समय नामान्तरकरण की परत पर सही नहीं हुई परन्तु वर्तमान भू–नक्शे में ख.नं. 26 की दक्षिणी सीमा के सहारे चिपता हुआ ख.नं. 604/503(जिसके नामान्तरकरण संख्या 949 किस्म रूपान्तरकरण से ख.नं. 604/503 के नये खसरा नं. 874/604, 873/604 बने) व ख.नं. 604/503 के दक्षिण की तरफ ख.नं. 603/503 को दर्शाया गया है। जबकि संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न ब्लू–प्रिन्ट नक्शों में ख.नं. संपरिवर्तित भूमि जिसके ख.नं. 603/503 है, को खसरा नं. 26 की दक्षिणी सीमा के सहारे चिपता हुआ दर्शाया गया है तथा शेष बची हुई भूमि जिसके ख.नं. 604/503 बने को संपरिवर्तन भूमि के दक्षिणी तरफ दर्शाया गया है। इस प्रकार वर्तमान भू–नक्शे में तरमीम संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार नहीं हुई। अतः संपरिवर्तन आदेश के साथ संलग्नः ब्लू–प्रिन्ट नक्शों व मौके के अनुसार ख.नं. 603/503 रकबा 0.0505 हैक्टेयर की तरमीम ख.नं. 26 की दक्षिणी सीमा के सहारे चिपती हुई व ख.नं. 603/503 के दक्षिणी की तरफ क्रमशः 874/604 रकबा 0.1360 हैक्टेयर व ख.नं. 873/604 रकबा 0.663 हैक्टेयर की तरमीम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ के खेत ख.नं. 603/503 रकबा 0.0505 हैक्टेयर की तरमीम ख.नं. 26 की दक्षिणी सीमा के सहारे चिपती हुई व ख.नं. 603/503 के दक्षिणी की तरफ क्रमशः 874/604 रकबा 0.1360 हैक्टेयर व ख.नं. 873/604 रकबा 0.663 हैक्टेयर किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़**

बइजलास**श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

रामचन्द्र बनाम हीरालाल आदि

दावा रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत्

मुकदमा न0 108 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एड. .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही .मौजा लोढसर तहसील सुजानगढ़ के खेत ख.नं. 603/503 रकबा 0.0505 हैक्टेयर की तरमीम ख.नं. 26 की दक्षिणी सीमा के सहारे चिपती हुई व ख.नं. 603/503 के दक्षिणी की तरफ क्रमशः 874/604 रकबा 0.1360 हैक्टेयर व ख.नं. 873/604 रकबा 0.663 हैक्टेयर किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत .... फीसदी सालाना

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

...................को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28**माह 03 2025

उपखण्ड अधिकारी......

ओहदा ....

सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।